न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 4/2018 (डूंगरपुर आर्डर)

सूरजमल पिता रामजी कलासुआ, जाति मीणा, निवासी धटाऊ निचला फला, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. लक्ष्मण पिता उदा रेबारी, जाति रेबारी, निवासी धटाऊ निचला फला, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)
2. पुजा पिता उदा रेबारी, जाति रेबारी, निवासी धटाऊ निचला फला, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)
3. श्रीमती लक्ष्मी पुत्री स्वर्गीय भगवानलाल रेबारी, जाति रेबारी, निवासी धटाऊ निचला फला, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)
4. श्रीमती कोमल पुत्री स्वर्गीय भगवानलाल रेबारी, जाति रेबारी, निवासी धटाऊ निचला फला, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)
5. श्रीमती शान्ति बेवा स्वर्गीय भगवानलाल रेबारो, जाति रेबारी, निवासी धटाऊ निचला फला, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)
6. हीरा गोदनसिम पिता गिरधारीलाल, जाति रेबारी, निवासी धटाऊ निचला फला, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर
दिनांक 23.05.2018, प्र॰ सं॰ 51/18

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री शैलेष भण्डारी अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री कन्हैयालाल पण्डया अभिभाषक रे.सं. 1 से 6
3. राजकीय पैरोकार अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7

———::———

निर्णय दिनांक

26–04–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 6 द्वारा अपीलान्ट व सरकार के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन कि ा कि ग्राम धाणी घटाऊ में के खातेदार काश्तकारी एवं कब्जे काश्त की आराजी नंबर 143 से 146 व 225 कुल किता 5 रकबा 40 बीघा 4 बिस्वा भूमि स्थित है, किन्तु राजस्व रेकार्ड में जमाबन्दी संख्या 2073 से 2076 में प्रार्थी संख्या 6 हीरा गोदनसिन का नाम दर्ज नहीं हो पाया, जबकि जमाबन्दी संवत् 2065 से 2068 में के प्रार्थी के पिता व माता का नाम दर्ज था। मौके अनुसार पक्षकारान का आपसी बंटवाड़ा होकर काबिज है। प्रार्थी संख्या 3 से 5 के पिता/पति स्वर्गीय भगवान रेबारी अपने पैत्रृक धन्धे ऊंट पालना हेतु गुजरात चला जाता था एवं काश्त के समय अपने गांव आता था तथा अपने ही गांव के पड़ोसी विपक्षी संख्या 1 को अपने हिस्से की भूमि पर काश्त करने हेतु अनाज व मजदूरी का नगद रूपया देकर काश्त करवाता था, किन्तु भगवान रेबारी की अचानक दिनांक 15–09–2017 को हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाने से विपक्षी संख्या 1 के मन में खोट आ गया एवं वह उक्त भूमि पर कब्जा करने हेतु उतारू हो गया तथा गुपचुप रूप से मकान निर्माण करने की नियत से पाये खोदने लगा व पत्थर, रेत आदि उतार दिया, जिसका पता चलने पर गांव के पंचों को इकट्ठा किया, जिस पर विपक्षी संख्या 1 द्वारा निर्माण कार्य रोक दिया गया, किन्तु अभी भी अतिकमण कर निर्माण कार्य करने पर उतारू है। अतएवं निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 को ताफैसला वाद इस आशय की अस्थाइ निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि मौजा घटाऊ की जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 व संवत् 2065 से 2068 के खसरा नंबर 225 रकबा 25 बीघा 11 बिस्वा भूमि में से प्रार्थी संख्या 1 से 5 के मौखिक बंटवारे की कृषि भूमि पर किसी प्रकार का अतिकमण नहीं करें तथा उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा न स्वयं उत्पन्न करें न किसी अन्य से करावें।

प्रकरण में दिनांक 23–05–2018 को अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनकर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/ विपक्षी संख्या 1 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 22–06–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब करने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 6 की ओर से वकील श्री कन्हैयालाल पण्डया उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 राज्य सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय पैरोकार उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अभिभाशक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा बताया कि अपीलान्ट ने विवादित भूमि खेतनामी बीड का बड़ा भाग प्रतिफल की राशि अदा कर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 से 5 के पिता स्वर्गीय श्री भगवानलाल से दिनांक 25–01–1992 को कय किया था, तब से अपीलान्ट मौके पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा सिंचाई हेतु विवादित भूमि पर कुंआ भी अपीलान्ट ने खुदवाया है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 से 5 द्वारा भगवानलाल के जीवनकाल में कोई कार्यवाही नहीं की गयी तथा उनके मरने के बाद उनकी नियम खराब हो जाने से उक्त आवेदन पेश किया है, जिसे स्वीकार करने में अधिनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है। अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में अपने जवाब हेतु आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकता इसलिए न्यायहित में उसे सनुवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है ताकि प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जा सके। अतएवं अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय निर्णय अपास्त किया जावे।

वहीं विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया

तो यह पाया कि रेस्पोन्डेन्टगण विवादित भूमि के रेकार्डेड खातेदार हैं। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने रेकार्डेड खातेदार के पक्ष में ताफैसला वाद जो अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है, उसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23–05–2018 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26–04–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील
अधिकारी
उदयपुर